कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, रामपुर

सार्वजनिक नीलामी की सूचना सं0 01/2018–19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामपुर के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित निष्प्रोज्य सामग्रियां जो लॉट के रूप में है, की खुली नीलामी ''जहां है जैसा है'' के आधार पर दिनांक 17.12.2018 को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के पैरा 260 ए परिशिष्ट 19डी में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत नलकूप खण्ड रामपुर के भण्डार परिसर(नलकूप उपखण्ड–प्रथम, रामपुर, पुरानी तहसील स्थित) में दोपहर 2:00 बजे से गठित समिति द्वारा की जायेगी। प्रत्येक लॉट की नीलामी पृथक–पृथक की जायेगी। इन सामग्रियों की धरोहर राशि प्रत्येक सामग्री (लॉट) के लिये अलग–अलग जिसका विवरण निम्नानुसार है, दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 12:30 बजे तक जमा की जायेगी। धरोहर राशियां बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार होगी। बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामपुर के नाम एवं शाखा रामपुर पर ही देय होना चाहिये। निर्धारित समय के बाद कोई धरोहर राशि जमा नहीं की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्नवत है। इस नीलामी की शर्तो की प्रति प्रत्येक बोली दाता को खरीदना आवश्यक होगा, जिसका मूल्य रू0 50–00 प्रति है। प्रत्येक लॉट के लिये अलग–अलग शर्तों की प्रति खरीदना आवश्यक होगा। नीलामी की शर्तो की प्रति दिनांक 17.12.2018 तक की दोपहर 12:30 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से खरीदी जा सकती है। नीलामी तिथि का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में नीलामी की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी। प्रत्येक लॉट की नीलामी अलग–अलग की जायेगी।

क0 सं0	निष्प्रोज्य सामग्री का नाम	मात्रा किग्रा0 में	धरोहर राशि (रू0 में)	लॉट सं0	नीलामी की तिथि व स्थान
1	जला हुआ पी0वी0सी0 कॉटेड तांबे का तार (स्केप के रूप में)	3955.00	120000.00	1	तिथि 17.12.2018 स्थान– नलकूप उपखण्ड प्रथम रामपुर का पुरानी तहसील रामपुर स्थित भण्डार परिसर
2	गन मैटल स्केप एवं डस्ट	168.00	5400.00	2	
3	जला हुआ सुपर इनामिल्ड तांबे का तार (स्केप के रूप में)	101.00	4100.00	3	
4	आयरन स्कैप	1479.00	3750.00	4	

(इनाम उद्दीन रहमानी)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, रामपुर

नीलामी की शर्ते

1. उपरोक्त सामग्री की नीलामी अलग–अलग लॉट के रूप में 'जहां है जैसा है' के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक लॉट की बोली के लिये धरोहर राशि अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के रूप में उपोक्तानुसार अलग–अलग जमा करनी होगी।
2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामपुर के नाम देय हो नीलामी समिति के पास नीलामी की तिथि 17.12.2018 को प्रातः10.00 बजे से 12:30 बजे तक जमा करनी होगी इसके पश्चात कोई धरोहर राशि जमा नहीं की जायेगी। बिना जमानत/धरोहर राशि जमा कराये एवं नीलामी की शर्तें खरीदें विना कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं लेगा।

क्रमश...................

3. उपरोक्त सामग्री को किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक इस खण्ड के सहायक अभियन्ता, नलकूप उपखण्ड प्रथम रामपुर दूरभाष संख्या 9454415801 एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता भण्डार दूरभाष संख्या 9454414531 से सम्पर्क कर पुरानी तहसील, रामपुर परिसर स्थित भण्डार गृह पर देखा जा सकता है।
4. नीलामी के सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति को सुरक्षित रहेगा तथा इसके लिये कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
5. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त बोली स्थल पर ही नकद जमा करनी होगी, अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा कराई गई धरोहर राशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी।
6. उच्च्तम बोली की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 तथा अन्य कर जो भी नियमानुसार देय है वह उच्चतम बोली दाता/फर्म को देना होगा। जी0एस0टी0 की धनराशि निर्देशानुसार जमा करनी होगी।
7. नीलाम किये गये सामग्री की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर उच्चतम बोली दाता को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा और सूचना देने के 10 दिन के अन्दर–अन्दर नीलामी की अवशेष धनराशि जी0एस0टी0 सहित जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धनराशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे अधिकतम बोली दाता को सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लेने पर नीलामी उसके पक्ष में स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
8. नीलाम किये गये सामग्री की अवशेष धनराशि जमा कराने के पश्चात 15 दिन के अन्दर–अन्दर सभी सामग्री बोलीदाता/फर्म को भण्डार गृह से उठानी होगी।
9. नीलामी स्वीकृति उपरान्त समयावधि में सामग्री न उठाने की दशा में होने वाली क्षति के लिये सम्बन्धित फर्म/ बोली दाता स्वयं जिम्मेंदार होगा।
10. यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है तो बोली दाता के द्वारा जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा इस स्थिति में बोलीदाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/ब्याज इत्यादि का कोई भी क्लेम देय अथवा मान्य नहीं होगा।
11. उच्चतम बोली दाता को छोड़कर अवशेष अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
12. नीलामी में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है उसका निष्पादन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा जो बोलीदाता को मान्य होगा।
13. सामग्री की मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है।
14. नीलामी बोलने से पूर्व बोलीदाता को अपना नाम एवं हस्ताक्षर नीलामी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी बोली अभिलिखित नहीं की जायेगी।
15. बोलीदाता/फर्म को अपना फोटो परिचय–पत्र, आयकर नं0 (पैन) एवं जी0एस0टी0 नं0/ जी0एस0टी0 आई0 एन0 एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की वैध फोटो प्रति नीलामी समिति को धरोहर राशि जमा कराते समय उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी। मूल अभिलेख भी आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने होंगे।
16. अध्यक्ष नीलामी समिति को अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. नीलामी प्रकिया के समय यदि बोली दाताओं द्वारा कोई अनुशासनहीनता की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। नीलामी परिसर में किसी भी प्रकार का शस्त्र–अस्त्र आदि लाना वर्जित होगा।
19. नीलामी समिति को आरक्षित मूल्य से कम बोली मान्य नहीं होगी।
20. जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म को ही नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा।
21. उपरोक्त सभी शर्तो के पालन के लिये बोली दाता बाध्य होगा।

(इनाम उद्दीन रहमानी)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, रामपुर